समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
-: आदेश :-

सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015 के आलोक में दिनांक 27.01.2016 को जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-155-2/स्था0, मधेपुरा दिनांक- 26.02.2016. द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यालयों में दो वर्षो तक के लिए अथवा उसी पद पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर निम्न शर्त्तो के अधीन नियोजित किया जाता है:-

क्र0	सेवानिवृत्त कर्मियों का नाम एवं पदनाम	संविदा पर नियोजित कार्यालय का नाम	नियोजन अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जपेन्द्र नारायण सिंह, सेवानिवृत्त उ0व0लिपिक	अंचल कार्यालय, आलमनगर	आदेश निर्गत तिथि से दो वर्षो तक के लिए अथवा उसी पद पर नियमित नियुक्ति होने तक दोनों में जो पहले हो	
2	मो0 इद्रिश उद्दीन, सेवानिवृत्त उ0व0लिपिक	प्रखण्ड कार्यालय, उदाकिशुनगंज		
3	श्री नित्यानंद ठाकुर, सेवानिवृत्त नि0व0लिपिक	अंचल कार्यालय, मुरलीगंज		
4	श्री सुदामा प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, मधेपुरा		
5	श्री विश्वम्भर ठाकुर, सेवानिवृत्त नि0व0लिपिक	अंचल कार्यालय, सिंहेश्वर		
6	श्री ब्रहमदेव ठाकुर, सेवानिवृत्त उ0व0लिपिक	अंचल कार्यालय, गम्हरिया		
7	श्री सिंघेश्वर ठाकुर, सेवानिवृत्त लिपिक	प्रखण्ड कार्यालय, ग्वालपाड़ा		
8	श्री सुशील कुमार सिंह, सेवानिवृत्त उ0व0लिपिक	अंचल कार्यालय, गम्हरिया		
9	श्री नाथो रजक, सेवानिवृत्त उ0व0लिपिक	प्रखण्ड कार्यालय, सिंहेश्वर		
10	श्री गुणानन्द झा, सेवानिवृत्त नि0व0लिपिक	प्रखण्ड कार्यालय, ग्वालपाड़ा		
11	श्री अनिल कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी	अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा		

शर्त्ते :-

(1) यह नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी है।

(2) यह नियोजन संविदा आधारित है।

(3) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों के अनुरूप अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र देय होगा।

(4) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुरूप किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

(5) संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा नहीं बनेगा।

(6) यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई विस्तार नहीं हो पाता है तो आपका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

(7) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवक (जी०पी०एफ०योजना अधीन) का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन एवं सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि एवं सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा परन्तु पेंशन पर महगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उस सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

(8) नई पेंशन योजना(सी०पी०एफ०) से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–वैण्ड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मँहगाई भत्ता की राशि के योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य मॅहगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन + मॅहगाई भत्ता का योगफल ही परिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेया संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

(9) मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(10) सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(11) नियोजित कर्मी के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी। समीक्षोपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 228-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 29-03-2016

प्रतिलिपि :- संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।